18.5.18 → पत्रावली आज अटल सेवा केन्द्र टांटोटी में पेश हुई। प्रार्थी के वकील श्री अजय कुमार सैनी हाजिर सुना गया। प्रार्थी व अप्रार्थी हाजिर, किन्तु हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अप्रार्थी के वकील हाजिर। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम टांटोटी की खसरा नम्बर 2386 रकबा 1.62 है० में आने जाने हेतु रास्ता दिलवाने हेतु प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। खसरा नम्बर 2386 रकबा 1.62 है० मोडू, छोटू, नरदू के बराबर बराबर 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड था. नरदू की मृत्यु के बाद वारिसान तीजी पत्नी नरदा के नाम नामा० से दर्ज हुआ है। छोटू द्वारा सहखातेदार मोडू के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में नरदू की पत्नी तीजी को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि वह आवश्यक पक्षकार है, उसे प्रकार्या अप्रार्थी के रूप में संयोजित किया है।

प्रार्थी को बटवारा करवाने के पश्चात ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए क्योंकि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संयुक्त खातेदार के विरुद्ध है। संयुक्त खातेदारी में प्रत्येक इंच भूमि पर संयुक्त खातेदार के हक अनुसार हिस्सा होता है अत: एक संयुक्त खातेदार का कब्जा सबका कब्जा है, एक खातेदार को रास्ते की बाधा नहीं है तो दूसरे को रास्ते की बाधा नहीं मानी जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में संयुक्त खातेदार, दूसरे संयुक्त खातेदार के विरुद्ध रास्ते का अनुतोष चाहते हैं।

अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है, खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करें।

आदेश अटल सेवा केन्द्र टांटोटी के मजमे आम में सुनाया गया।

(signature)

अध्यक्ष
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

(signature)
सदस्य
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

(signature)
सदस्य
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

[illegible]